NON ENCUMBRANCE

संम्पत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

Non-Encumbrance Certificate u/s ... Indian Bank Jamshedpur Sakchi Br. vide Ref No. Br. Sakchi/ADV/07/2022-23 dt. 19.09.2022

अनुसूची 21 –प्रपत्र संख्या 113 आवेदन पत्र संख्या 2314/2022

प्रमाण पत्र संख्या.......... 10.1/2022

चूंकि श्री Avijit Mandal Adv. for M/s Brahmananda Amghar Ltd ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0 01-01-2009

से ता0 19-09-2022 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्हारों और अवभारों का पता चला है :–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्ट के प्रति निदेष		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ट
			/					

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :–

(ख) बंधक की दषा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बषर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो

(ग) पट्टे की दषा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवशरों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया ।

हस्ताक्षर [signature] 20/9/2022

पदनाम – लिपिक

प्रमाणित किया जाता है कि जिला निबंधन कार्यालय, सरायकेला-खरसावां में 01.01.2019 से 19.09.2022 तक अनुक्रमणिका-2 एवं जिल्द का तलाशी आवेदक श्री अभिजीत मंडल (अधिवक्ता) द्वारा स्वयं की गई। तदनुसार मौजा-तामुलिया, थाना-चाण्डिल, थाना नं. 333, खाता नं. 16, 169 प्लॉट नं. 406, 409 रकबा-92.80 डि. का कार्यालय में संधारित अभिलेख में अवभार संबंधी कोई प्रविष्टि नहीं है। आवेदक के तलाशी एवं लिखित जानकारी के अनुसार अवभार प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

[signature] 2019

तलाशी का सत्यापन ऋणशर प्रमाण पत्र का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर – [signature] 20.09.22

पदनाम – लिपिक

जिला अवर निबंधक का कार्यालय सरायकेला

जिला अवर निबंधक

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय (सरायकेला) निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर

तारिख 20.09.2022

टिप्पणी :–इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं । वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये । यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेषन इस प्रमाण पत्र में षामिल न किए जायेंगें ।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (ईन्डेक्स) को प्रविष्ठियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी ।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है । इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाषी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाषी परिणाम को किसी भूल के लिए भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाषी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया हैं, इसलिए विभाग द्वारा ढूंढे गये एसे संव्यवहार और अवभारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड. ता हो ।